छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 28/2006</u>

रजा कन्स्ट्रक्शन .... आवेदक
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... अनावेदक
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला–कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(14 सितम्बर 2006)

आवेदक रजा कन्स्ट्रक्शन, रायपुर के द्वारा आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर से कविता गृह निर्माण सहकारी समिति से संबंधित अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनयम के अंतर्गत चाहे थे, किन्तु संयुक्त संचालक के द्वारा सूचित किया गया कि कविता गृह निर्माण सहकारी समिति की मूल नस्ती जांच हेतु जिला प्रशासन रायपुर के द्वारा ली गई थी वह वापस नहीं की गई, अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

2. आयोग के द्वारा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 08.03.06 को श्री मालवीय, जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वे नस्ती कलेक्टरेट से वापस प्राप्त कर वांछित अभिलेख की प्रति आवेदक को प्रदान करे। दिनांक 10.04.06 को कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 31.08.06 को आवेदन प्रस्तुत किया गया कि जिन दस्तावेजों की मांग आवेदक के द्वारा की गई है, उससे संबंधित नस्ती श्री एस.व्ही. अय्यर, तत्कालीन सहायक जिलाध्यक्ष के द्वारा दिनांक 22.02.83 को संयुक्त संचालक कार्यालय से जप्त की गई थी, जप्तीनामा की प्रति दिनांक 22.02.03 को संलग्न की गई है। मूल नस्ती वापस करने हेतु कलेक्टर को दिनांक 16.06.83, दिनांक 14.03.84, दिनांक 24.04.84, दिनांक 04.05.84, दिनांक 16.05.84, दिनांक 22.09.84, दिनांक 20.06.86, दिनांक 17.07.86, दिनांक 17.07.93, दिनांक 22.09.93, दिनांक 15.06.98, दिनांक 18.05.06 तथा दिनांक 22.03.06 को लगातार स्मरण कराया गया किन्तु कलेक्टर की ओर से जप्तशुदा मूल नस्तियां प्राप्त नहीं हुई। आयोग के द्वारा कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर की ओर से यह स्वीकार किया गया कि नस्तियां तत्कालीन सहायक जिलाधीश के द्वारा जप्त की गई थी। नस्तियां खोजने के पश्चात् भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं। प्रकरण में उपस्थित अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि संचालक, नगर तथा

ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा भी कलेक्टर को नस्तियां वापस करने के लिए पत्र भेजे गए किन्तु जिलाध्यक्ष कार्यालय से नस्तियां वापस नहीं की गई।

3. आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया है तथा दोनों पक्षों के तर्को को सुना गया। प्रकरण से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा कलेक्टर कार्यालय से जप्त की गई नस्तियां प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास किये गये किन्तु उन्हें नस्तियां प्राप्त नहीं हुई। संबंधित नस्तियां प्राप्त न होने के फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा आवेदक को वांछित जानकारी प्रदान नही की जा सकी। प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि जिलाधीश कार्यालय, रायपुर के सहायक जिलाधीश के द्वारा वर्ष 1983 में किसी जांच के संदर्भ में नस्तियां जप्त की गई थी। उक्त नस्तियां जन सूचना अधिकारी को प्राप्त नहीं हुई। अतः जन सूचना अधिकारी आवेदक को वांछित जानकारी समय पर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अतः उनके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आधार नहीं है। यह कलेक्टर का उत्तरदायित्व है कि उनके कार्यालय के द्वारा जप्त नस्तियां खोजी जावे। यह आपत्तिजनक है कि जांच के समय जप्त कर ली गई नस्तियां संबंधित कार्यालय को जांच के उपरांत क्यों वापस नहीं की गई। अतः कलेक्टर रायपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे नस्तियां गुम हो जाने के संबंध में जांच करें तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करें कि कौन दोषी है तथा संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही भी की जावे। यदि नस्तियां उपलब्ध नहीं होती है तो जो भी रिकार्ड उपलब्ध हो उसके आधार पर नस्ती पुनः बनाई जावे तथा इसके पश्चात् आवेदक को सूचित कर आवश्यक अभिलेख यदि आवेदक चाहता है तो उसे उसकी प्रतिलिपि प्रदान की जावे। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर रायपुर को भी भेजी जावे।

4. उक्त निर्देशों के साथ इस शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त